



मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

नवीन परिसर विधि विज्ञान प्रयोगशाला, महानगर लखनऊ-226006

पत्रांक: टीएस-सीसीटीएनएस-35/2010
सेवा में,

दिनांक: मई 04, 2018

समस्त अपर पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक,
जोन, उत्तर प्रदेश।

समस्त पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक,
परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक,
जनपद, उत्तर प्रदेश।


विषय:- सीसीटीएनएस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समस्त जोन कोआर्डिनेटर (कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए), परिक्षेत्रीय कोआर्डिनेटर (कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए), जनपदीय कोआर्डिनेटर (कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए) की दिनांक 08.05.2018 को समय अपरान्ह 12.00 बजे बैठक विषयक।

सीसीटीएनएस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर अनुश्रवण किया जाता रहा है। इस सम्बन्ध में प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समस्त जोन क्वार्डिनेटर (कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए), परिक्षेत्रीय कोआर्डिनेटर (कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए), जनपदीय कोआर्डिनेटर (कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए) दिनांक: 08.05.2018 को समय प्रातः 12.00 समय अपरान्ह 12.00 बजे बैठक तकनीकी सेवायें मुख्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ, नवीन परिसर विधि विज्ञान प्रयोगशाला, महानगर लखनऊ-226006 स्थित कम्प्यूटर प्रशिक्षण कक्ष में बैठक आयोजित की गयी है।

2. जनपद लखनऊ से पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी गाजीपुर, थाना-गाजीपुर कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए इस बैठक में समय से प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

3. उक्त परिप्रेक्ष्य में आपके समस्त जोन कोआर्डिनेटर (कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए), परिक्षेत्रीय कोआर्डिनेटर (कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए), जनपदीय कोआर्डिनेटर (कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए) दिनांक: 08.05.2018 को समय अपरान्ह 12.00 बजे बैठक में निर्धारित समय व स्थान पर इस मुख्यालय द्वारा सीसीटीएनएस के क्रियान्वयन हेतु प्रदान किये गये निर्देशों की प्राथमिकताओं व पूर्व में निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं पर सूचनाओं सहित प्रतिभाग किये जाने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: एजेण्डा बिन्दु।


(आशुतोष पाण्डेय)

अपर पुलिस महानिदेशक
तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु:-

1. पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
2. पुलिस अधीक्षक, तकनीकी सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
3. पुलिस अधीक्षक/सहायक निदेशक, उ०प्र० पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ को सूचनार्थ एवं एवं अपने स्तर से एक आशुलिपिक को मीटिंग के मिनट्स हेतु चर्चा के बिन्दुओं को नोट करने व निर्देशित कार्यवृत्त को तैयार कर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने हेतु।
4. अपर पुलिस अधीक्षक तकनीकी सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को उपरोक्त सम्बन्ध में सादर सूचनार्थ एवं अपने स्तर से संबंधित विषय के अन्तर्गत पूर्ण तैयारी सहित बैठक में प्रतिभाग किये जाने हेतु:—

5. श्री सुशील कुमार गंगा प्रसाद, पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी सेवायें, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. श्री सुमित गुप्ता, प्रोजेक्ट मैनेजर, सिस्टम इन्ट्रीग्रेटर (एस०आई०) मेसर्स एन०आई०आई०टी० टेक्नालॉजी लिमिटेड, लखनऊ।
7. श्री सुनील जैन, एस०डी०ओ०, भारत संचार निगम लिमिटेड, के प्रतिनिधि, तकनीकी सेवायें उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. श्री सुदेश कुमार सिस्टम इन्ट्रीग्रेटर (एस०आई०) मेसर्स एन०आई०आई०टी० टेक्नालॉजी लिमिटेड, लखनऊ के प्रतिनिधि।
9. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, प्रोग्रामर ग्रेड-2, प्रभारी सीसीटीएनएस, तकनीकी सेवायें, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को बैठक में समन्वय तथा व्यवस्था की अग्रेतर कार्यवाही हेतु।
10. समस्त, प्रोग्रामर ग्रेड-2, तकनीकी सेवायें, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. श्री प्रमोद कुमार, प्रोग्रामर ग्रेड-2, उ०प्र० पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि समस्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए को क्यूमेल के माध्यम से प्रेषित किये जाने व अभिलेखार्थ रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को बैठक में उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त कर व्यवस्था हेतु अग्रेतर कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ:—

12. प्रभारी प्रशिक्षण शाखा, उ०प्र० पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र को अग्रेतर कार्यवाही हेतु।
13. प्रभारी हार्डवेयर, उ०प्र० पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र को अग्रेतर कार्यवाही हेतु।
14. प्रतिसार निरीक्षक तकनीकी सेवायें को व्यवस्था एवं उच्चाधिकारियों के आदेश के अनुरूप जलपान हेतु।
15. प्रभारी वेबसाइट को पत्र मेल/वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

समस्त जोन कोआर्डिनेटर (कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए), परिक्षेत्रीय कोआर्डिनेटर (कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए), जनपदीय कोआर्डिनेटर (कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए) दिनांक: 08.05.2018 को समय अपरान्ह 12.00 बजे बैठक मुख्यालय तकनीकी सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ, नवीन परिसर विधि विज्ञान प्रयोगशाला, महानगर लखनऊ-226006 स्थित सभागार में

बैठक का एजेण्डा बिन्दु:-

- जनपदीय ई-मिशन टीम की नियमानुसार साप्ताहिक/मासिक बैठक की स्थिति।
- सीसीटीएनएस योजनान्तर्गत प्रदेश में समस्त थानों का योजना में प्रयुक्त कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (CAS) के माध्यम से अभियोग पंजीकृत किये जाने की स्थिति।
- सीसीटीएनएस पोर्टल पर ऐसे लम्बित विवेचनाओं के निस्तारण की स्थिति पर प्रगति।
- अपराधों के सम्बन्ध में चार्जशीट/ एफ0आर0 साफ्टवेयर के माध्यम से किता कराये जाने की स्थिति।
- सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत इन्द्राज की जा रही साफ्टवेयर की प्रविष्टियों में निरोधात्मक/ सतर्कता/ सीआरपीसी की कार्यवाही को दर्ज किये जाने की स्थिति
- ऐसे थानों की सूची जिनका डाटा विगत 07 दिन से स्टेड डाटा सेण्टर पर सिंक होकर सीसीटीएनएस पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है कारण सहित प्रस्तुत करें।
- सीसीटीएनएस पोर्टल निम्न प्रपत्रों को भरे जाने की स्थिति:-
संगठित अपराध:-जिसमें गिरोह का विवरण/ उसके हथियार/ठिकाने/परिवहन/ सदस्य/ प्रभावित क्षेत्र/ आदि के बारे में जानकारी है।

1. 18 प्रपत्र से सम्बन्धित सूचना।
2. गुमशुदा व्यक्तियों के पंजीकरण के लिए IIF-8 प्रपत्र उपलब्ध है।
3. अज्ञात मृत शरीर के पंजीकरण के लिए IIF-10 प्रपत्र उपलब्ध है।
4. अप्राकृतिक मृत्यु के पंजीकरण के लिए IIF-11 प्रपत्र उपलब्ध है।
5. खोई सम्पत्ति के पंजीकरण के लिए प्रपत्र उपलब्ध है।
6. लावारिस/परित्यक्त सम्पत्ति के भी प्रपत्र उपलब्ध है।

- जनपद में सीसीटीएनएस योजनान्तर्गत एनआईआईटी द्वारा उपलब्ध कराये गये अक्रियाशील उपकरण की निम्न प्रारूप में सूचना :-

क्रमांक	जनपद का नाम	लोकेशन टाइप	लोकेशन नाम	प्रयोग कर्ता का नाम	प्रयोग मो०न०	कर्ता का उपकरण का प्रकार	मेक माडल नम्बर	व उपकरण का सिरियल नम्बर	उपकरण के अक्रियाशीलता का संक्षिप्त विवरण	हेल्पडेस्क से प्रदान की गयी टिकट आईडी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सूचना भरे जाने का उदाहरण										
1	आगरा	पुलिस स्टेशन	सिकन्दरा	सुनील कुमार	XXXXXXXX777	एम0एफ0पी0	Samsung SCX-4728FD	Z6LB025	प्रिन्टर का टावर आन नहीं हो रहा है।	560617262087

- एनआईसी द्वारा उपलब्ध कराये गये VPN सार्टिफिकेट के सम्बन्ध में

नोट:-समीक्षात्मक उपलब्ध कराये जाने वाली सूचना

1-प्रारम्भ से समीक्षा माह के 01 अथवा 15 तारीख जो पहले हो तक की सूचना जनपदवार तथा थानावार

2-पूर्ववर्ती 06 माह से समीक्षा माह के 01 अथवा 15 तारीख जो पहले हो तक की सूचना जनपदवार तथा थानावार